पंचायत रोजगार सेवकों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पटना : कार्य पर वापस नहीं आने वाले पंचायत रोजगार सेवकों पर कारण बताओ नोटिस जारी होगा। उसके बाद राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रदीप कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने से पहले हड़ताल से वापस कराने के लिए पहल करने का निर्देश दिया है।

गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। जिसमें मनरेगा में मानव दिवस सृजन कम होने पर गंभीर चिंता प्रकट की गई। बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे। पत्र में कहा गया है कि पंचायत रोजगार सेवकों का हड़ताल पर जाना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्व का उल्लंघन है। पंचायत रोजगार सेवक 42 दिनों से हड़ताल पर हैं। इससे विकास कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष देवता प्रसाद दीक्षित और महामंत्री रंजीत कुमार ने कहा कि पंचायत रोजगार सेवकों को पंचायत सचिव के पद पर समायोजन की घोषणा होने के बाद ही हड़ताल से वापस होंगे। सभी पंचायत रोजगार सेवक एकजुटता के साथ अपनी मांगों पर अड़े हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी की सरकार ने अगर कार्रवाई की तो सभी कार्यों के अभिलेखों को पटना लाकर डाकबंगला चौराहे पर जला दिया जायेगा।